राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 511/2014/जालोर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत–पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुन्धा माता एक्स्प्लोसिव, हनुमान नगर, जालोर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एस. के. आसोपा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 28/07/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 33/आरवेट/जालोर/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.08.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, वृत–पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2012 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25 व 61(1) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक्स्प्लोसिव गुड्स का लाईसेंसधारी व्यापारी है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत–पाली (जिसे आगे **'सर्वेक्षण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.07.2012 को श्री इकबाल खान की उपस्थिति में किया गया। मौके पर 1,24,200/– का माल कम पाया गया तथा बिल संख्या 217 दिनांक 12.07.2012 जारीकर्ता मैसर्स श्री गिरीराज एग्जिम प्रा0 लि0 भिवानी (हरियाणा) कीमतन रूपये 6,33,600/– व जी.आर. संख्या 21418 दिनांक 12.07.2012 भाड़ा राशि 33,600/– का जमाखर्च लेखा–पुस्तकों में होना नहीं पाया गया। इस पर उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, पाली के पत्रांक उपा.पा/पीए/स्थाना/2012–13/523 दिनांक 07.08.2012 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में

लगातार.....2

दिनांक 06.08.2012 को वेट अधिनियम की धारा 25 व 61(1) के तहत आदेश पारित करते हुए उक्त कम पाये गये व बिना जमाखर्च के माल पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,14,996/— एवं धारा 61(1) के तहत शास्ति रूपये 2,29,992/— कुल रूपये 3,44,988/— का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.08.2013 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मौके पर कम पाये गये माल तथा बिल संख्या 217 दिनांक 24.07.2012 का जमाखर्च लेखा—पुस्तकों में नहीं पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में सर्वेक्षण की कार्यवाही से लेकर आदेश पारित किये जाने तक सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में श्री इकबाल खान को फर्म का मालिक बताया गया है, जबकि फर्म का मालिक श्री महेन्द्र माली है। श्री इकबाल खान जीप चालक है, जिसका व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। सर्वेक्षण फर्द पर, नोटिस तामीली पर, आदेश तामीली पर इकबाल खान के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, यहां तक कि खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवाये गये। कर निर्धारण आदेश में भी इकबाल खान को फर्म का मालिक बताया गया है। इस प्रकार सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया सर्वेक्षण प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण व अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा दिनांक 07.08.2012 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.08.2012 को ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार कर निर्धारण आदेश ही बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर सामान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, बल्कि रेकॉर्ड अभिग्रहित कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कार्यालय में बुलवाया गया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का यह मानना ही त्रुटिपूर्ण हो जाता है कि मौके पर माल कम पाया गया। बिल संख्या 217 दिनांक 12.07.2012 का इन्द्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं होने बाबत तथ्य भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लेखा–पुस्तकों में उक्त बिल का इन्द्राज मौजूद है। उक्त बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बिल से क्रीत माल 'सी' फॉर्म के समर्थन से क्रय किया गया है, अतः कर निर्धारण अधिकारी का यह मानना कि उक्त बिल का लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज नहीं कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया गया है, हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त बिल के आधार पर किया गया करारोपण भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है। सम्पूर्ण प्रकरण में श्री इकबाल खान को फर्म का मालिक बताया गया, जबकि फर्म का मालिक श्री महेन्द्र माली है। फर्म मालिक से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री इकबाल खान से मात्र हस्ताक्षर करवाये गये हैं, यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगा कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये हों। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण व कर निर्धारण की कार्यवाही अविधिक हो जाती है।

7. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, पाली द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण का स्थानान्तरण जरिये पत्र दिनांक 07.08.2012 से किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 06.08.2012 को ही आदेश पारित कर प्रत्यर्थी के विरूद्ध मांग सृजित कर दी गयी। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण आदेश प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया जाना स्पष्ट है। क्षेत्राधिकार से बाहर पारित आदेश स्वतः ही विधिशून्य है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवेचन करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक/तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

28.07.201

(मनोहर पुरी)
सदस्य